

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव / वित्त अधिकारी,

- 1- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 2- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 3- महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- 4- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- 5- छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- 6- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
- 7- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
- 8- डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2018

विषय:-राज्य विश्वविद्यालयों में छात्र/छात्राओं से लिये जा रहे शिक्षण शुल्क को जून, 1995 के स्तर पर लाये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों की आय में हुयी कमी की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-16/2018/148/70-4-2018-46(52)/2003, दिनांक 22.03.2018 के अनुक्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्री राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों में लिये जा रहे शिक्षण शुल्क को जून, 1995 के स्तर पर लाये जाने के फलस्वरूप उनकी आय में हुयी कमी की प्रतिपूर्ति हेतु द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 2,47,40,000/- (रूपये दो करोड़ सैतालीस लाख चालीस हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0सं0	विश्वविद्यालयों का नाम	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1-	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1,65,57,000
	कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ	3,64,000
2-	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1,42,000
3-	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	38,05,000
4-	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	2,17,000
5-	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	37,000
6-	डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	2,19,000
7-	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	15,40,000
8-	डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	18,59,000
	योग-	2,47,40,000

2- इस अनुदान के बिल पर सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत अनुदान का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जायेंगे।

SP G.O.


- 3- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के नियम-16 ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- 4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सुसंगत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-43-शिक्षण शुल्क जून, 1995 के स्तर पर लिये जाने से विश्वविद्यालयों की आय में कमी की प्रतिपूर्ति-4301-लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4302-लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4303-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4304-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4305-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4308-कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4309-अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4310-बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 4307-आगरा विश्वविद्यालय, आगरा -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-501/दस- 2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संख्या-33 /2018/ 588 (1)/सत्तर-4-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश, सत्यनिष्ठा भवन, 15ए दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
- 6- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव